निबंधन संख्या पी0टी0-40

सत्यमेव जयते

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 पौष 1936 (श0)

(सं0 पटना 63) पटना, बुधवार, 7 जनवरी 2015

जल संसाधन विभाग

—————

अधिसूचना
22 दिसम्बर 2014

सं0 22/नि0सी0(वीर0)–7–06/2009/2059—श्री हरिकेश्वर राम, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता द्वारा बरती गयी अनियमितता के विरूद्ध उड़नदस्ता द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन में वर्ष 2008 के बाढ़ अवधि में पूर्वी कोशी एफलक्स बॉध के डाउन स्ट्रीम कट एण्ड में कराये गये सुरक्षात्मक कार्य में बोल्डर क्रेटिंग कार्य में Void की मात्रा 20 प्रतिशत रखने के निदेश के बावजूद अप स्ट्रीम कट एण्ड में इसी तरह के कार्य में 30 प्रतिशत वायड की कटौती की गयी। इस तरह से 16.52 प्रतिशित अधिक बोल्डर की मात्रा के विरूद्ध 4,53,428/– (चार लाख तिरपन हजार चार सौ अठाईस रूपये) का अधिक भुगतान होने संबंधी प्रथम दृष्टया प्रमाणित आरोपों के लिए इनके विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित करते हुए विभागीय संकल्प ज्ञापांक–1299 दिनांक 17.11.2009 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम–19 के विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जॉच प्रतिवेदन की समीक्षा सरकार के स्तर पर की गयी। समीक्षा में पाया गया कि संचालन पदाधिकारी द्वारा निम्न तथ्य प्रस्तुत किये गये हैः–

(i) बेतार संवाद से प्राप्त दैनिक प्रतिवेदन में वायड कटौती के प्रतिशत का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने के कारण एवं विशेष मोनिटरिंग सेल के गठन होने के कारण, शक्तियों एवं दायित्व शिथिल होने के कारण डाउन स्टेज पर इसकी समीक्षा नहीं करने के कारण वायड कटौती में भिन्नता की सम्यक समीक्षा नहीं की गयी।

(ii) अधीक्षण अभियंता के द्वारा विभागीय मंत्री के अनुमोदन के उपरांत पुनर्विचार के लिए प्रस्ताव देना अभियंता प्रमुख (उत्तर) के लिखित निदेशों का उल्लंघन होता और यह वर्तमान कार्य पद्धति के अनुसार संभव प्रतीत नहीं होता है।

(iii) जहॉ तक भुगतान का प्रश्न है, इसके लिए कार्यपालक अभियंता ही सक्षम प्राधिकार है। कार्यपालक अभियंता ने ही 20 प्रतिशत वायड की मात्रा आकलित करने का प्रस्ताव दिया था। आरोपित पदाधिकारी द्वारा 30 प्रतिशत वायड की गणना के प्रस्ताव को अमान्य कर दिया था।

संचालन पदाधिकारी द्वारा उपरोक्त कार्य तथ्यों एवं साक्ष्यों की समीक्षा कर प्रतिवेदित किया गया कि कार्यपालक अभियंता, पश्चिमी कोशी नहर प्रमंडल, खुटौना द्वारा प्रतिवेदित दैनिक प्रतिवेदन एवं प्रपत्र–24 पर अंकित प्रमाण पत्र में वायड की मात्रा क्रमशः 12 प्रतिशत एवं 20 प्रतिशत थी तथा अप स्ट्रीम कट एण्ड के कार्य में कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमंडल, बथनाहा द्वारा संबंधित प्रपत्र–24 में 30 प्रतिशत वायड की मात्रा थी। यह विरोधाभास संज्ञान में आते ही आरोपित पदाधिकारियों द्वारा यह प्रस्ताव दिया गया था कि प्रचलित रीति के अनुसार वायड की मात्रा 30

प्रतिशत रखने एवं वास्तविक वायड की मात्रा आकलित करने हेतु उड़नदस्ता द्वारा जॉच कराई जाय, जिसे अमान्य कर दिया गया था। अतः इनकी समीक्षा ठीक से नहीं करने का आरोप जिसके कारण 4,53,478/– रूपये का अधिकाई भुगतान का मामला बनाता है, के लिए संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत हुआ जा सकता है।

अंत में संचालन पदाधिकारी द्वारा निष्कर्ष में कहा गया है कि आरोपित पदाधिकारी के विरूद्ध आरोप अप्रमाणित माना जा सकता है।

उक्त वर्णित स्थिति में समीक्षोपरांत संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री हरिकेश्वर राम, तत्कालीन अधीक्षण अभियंता को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

उपरोक्त वर्णित स्थिति में श्री हरिकेश्वर राम को दोषमुक्त किया जाता है।

उक्त आदेश श्री हरिकेश्वर राम को संसूचित किया जाता है।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
सतीश चन्द्र झा,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 63-571+10-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in